न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 18/2017 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2017/00263

दलीप कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार —रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 12.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार कोलायत के निर्णय दिनांक 12.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– तहसील सूरतगढ़ के चक 8 पी.एस.एम फस्ट का मुरब्बा नंबर 122/16 का 25 बीघा अपीलांट ने दिनांक 06.02.2012 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय की थी। तहसीलदार कोलायत ने उक्त बैयनामें के आधार इंतकाल संख्या 3 अपीलांट के पक्ष 3 दर्ज कर दिया। तहसीलदार कोलायत ने इंतकाल संख्या 3 को पुनर्विलोकन कर यह कहते हुए इंतकाल संख्या 3 अस्वीकार कर दिया कि न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवशन(सतर्कता) बीकानेर ने उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन धारा 22(3) के तहत निरस्त किया जा चुका है। तहसीलदार कोलायत के उक्त आदेश दिनांक 12.08.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार, कोलायत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और बिना सुनवाई के फैसला पारित कर दिया। उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामें क्रय की थी। खरीद के समय अपीलांट को कब्जा सौप दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोलायत द्वारा बैयनामें के आधार पर इंतकाल संख्या 3 अपीलांट के पक्ष में दर्ज कर दिया। तहसीलदार कोलायत इंतकाल संख्या 3 को पुनर्विलोकन कर बिना आधार के इंतकाल संख्या 3 खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनर्विलोकन आदेश में लिखा कि खरीद के समय भूमि रकबाराज थी जो गलत है क्योंकि भूमि रकबाराज दिनांक 24.09.2012 को हुई जबकि अपीलांट द्वारा खरीद दिनांक 06.02.2012 को ही हो चुकी थी। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 85–ए के परन्तुक में बताया गया है। कि कोई भी आज्ञा उस समय तक परिवर्तित की या उलटी नहीं जाएगी जब तक कि उसमें हित रखने वाले पक्षकारों को उपस्थित होने का नोटिस न दिया गया हो और ऐसी आज्ञा के

संभागीय आयुक्त बीकानेर

समर्थन में उनकी सुनवाई न कर ली गई हो। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना इंतकाल खारिज किया हैं। न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवशन(सतर्कता) बीकानेर के जिस आदेश से उक्त भूमि रकबाराज हुई उसके विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेंर में निगरानी जैरकार थी व स्थगन आदेश भी था। अतः तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक 12.08.2016 को निरस्त फरमावें।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन(सतर्कता) बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.09.2012 के द्वारा लक्ष्मीनारायण पुत्र रूघाराम व सुखी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण कुम्हार को चक 8 पी.एस.एम फस्ट के मु. नं. 122/16 किला नंबर 1 ता 25 कुल तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन 22(3) के तहत निरस्त किया जा चुका है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार कोलायत ने इंतकाल संख्या 3 का पुनर्विलोकन कर अपीलांट के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 3 निरस्त कर दिया। जो विधि अनुसार सही है। तहसीलदार कोलायत ने किसी भी प्रकार का अनियमित एवं अवैधानिक कार्य नहीं किया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादगत भूमि का आवंटन न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन(सतर्कता) बीकानेर द्वारा दिनांक 24.09.2012 को निरस्त कर दिया गया था, जिससे उक्त आवंटन से निरस्त हो चुकी भूमि का बेचान प्रभाव शून्य (Null&Void) हो गया। अभिभाषक अपीलांट के कथनानुसार वादगत भूमि से संबधित एक प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है, जहां से उक्त प्रकरण का अंतिम निर्णय होना है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोलायत ने न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन(सतर्कता) बीकानेर के आदेश दिनांक 24.09.2012 की पालना में इंतकाल संख्या 420 को पुर्नविलोकन कर इंतकाल संख्या 420 को निरस्त कर दिया, जो न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोलायत के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/8/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर